## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 10/2014

प्रार्थीगण :-

1.रामूराम पुत्र हमीर

2.देवाराम पुत्र पेमाराम

3.दुर्गाराम पुत्र नैनाराम फौत के कायम मुकाम:-

3/1 भंवराराम पुत्र दुर्गाराम

3/2 चौथाराम पुत्र दुर्गाराम

3/3 गुणाराम पुत्र दुर्गाराम

3/4 किसनाराम पुत्र दुर्गाराम

3/5 उरजनराम पुत्र दुर्गाराम

3/6 छोटूराम पुत्र दुर्गाराम

3/7 श्रीमति बाबूदेवी पत्नी दुर्गाराम

4.गायडराम पुत्र आसूराम फौत के कायम मुकाम:-

4/1 सुखाराम पुत्र गायडराम

4/2 श्रवणराम पुत्र गायडराम

4/3 शायरी पत्नी गायडराम

5.भाकरराम पुत्र आसुराम

6.मानाराम पुत्र पूना

7.जयराम पुत्र नारायण

8.गायडराम पुत्र दुर्गा

9.मोडाराम पुत्र आसु

10. भंवराराम पुत्र आसू सभी जातियान राईका निवासीगण पडासलां खुर्द तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

**बनाम**

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम**

उपस्थिति :- प्रार्थीगण -श्री गणपत लाल चौधरी, अधिवक्ता।

अप्रार्थी सरकारी- पैरोकार।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

**निर्णय** दिनांक :- 7/10/15

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पडासलां खुर्द तहसील बिलाडा में कृषि भूमि खसरा नंबर 73 मी, रकबा 240 बीघा व खसरा नंबर 71 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद उपयोग व उपभोग की है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पडासलां खुर्द की कृषि भूमि खसरा नंबर 73 रकबा 258 बीघा 3 बिस्वा में से 240 बीघा व खसरा नंबर 71 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कुल भूमि 244 बीघा 16 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचान दिनांक 4.3.1974 को मूल खातेदार मोहम्मद आसिफ पुत्र स्वर्गीय हकीम निसार अहमद से खरीदी थी। बैचान दस्तावेज की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश है। माननीय उच्च न्यायालय की स्पेशल अपील

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

582/96 के द्वारा नामान्तरकरण सं. 59 बहाल रखकर खसरा नंबर 73 की भूमि मोहम्मद आसिफ के नाम दर्ज की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि क्रय करने पर स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण सं. 66 के कालम नंबर 7 में भूमि की किस्म दर्ज नहीं की गयी है। कालम सं. 13 में किस्म गौचर व बारानी चतुर्थ दर्ज की है। भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग द्वारा तैयार खतौनी बन्दोबस्त में ग्राम पडासलां खुर्द तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 73 बंजर रकबा 259 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी चारम दर्ज की हुयी है। सबूत में खतौनी बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रति पेश है। जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 में खसरा नंबर 73 की किस्म बारानी चारम दर्ज है। तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में हेरा फेरी हुयी है। तथा उक्त खसरे की किस्म बिना किसी सक्षम न्यायालय तथा राजस्व अधिकारी के आदेश के उक्त भूमि की किस्म गौचर दर्ज कर दी गयी है। जिसको दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण अधिकारी है। आगामी जमाबंदीयों में बारानी चतुर्थ के स्थान पर भूमि की किस्म गौचर दर्ज हो जाने से आगे से आगे राजस्व रेकर्ड में अधिगार अभिलेख त्रुटिपूर्ण हो गया है। जिसको दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। ग्राम पडासंला खुर्द के खसरा नंबर 73 में से 240 बीघा व खसरा नंबर 71 की भूमि का विक्रय जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचान उप पंजीयन कार्यालय बिलाडा में दिनांक 4.3.1974 को हुआ है। राजस्व रेकडर्ड में दर्ज गौचर भूमि का विक्रय हस्तान्तरण आदि किया जाना संभव नहीं होता इससे स्पष्ट सिद्ध है राजस्व रेकर्ड में यह त्रुटि एक लिपिकीय भूल है। ऐसे इन्द्राज करने का न तो अप्रार्थी को अधिकार है न ही प्रार्थीगण के अधिकार समाप्त हो सकते है। अतः राजस्व रेकर्ड में गलत हुए इन्द्राज धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान के तहत दुरुस्त किये जा सकते है। रेकर्ड दुरुस्त करने में किसी पक्ष को कोई हानि नहीं होगी। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 51/05 एम.पी.जोशी बनाम तहसीलदार बिलाडा के मामले में निर्णय दिनांक 8.9.2005 द्वारा ग्राम पडासलां खुर्द के खसरा नंबर 69 व 70 की किस्म गौचर को दुरुस्त करते हुए किस्म बारानी चारम पुनः दर्ज करने के आदेश पारित फरमाया।

अतः दरख्यास्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दरख्यास्त स्वीकार की जाकर राजस्व रेकर्ड में ग्राम पडासलां खुर्द के खसरा नंबर 73 की भूमि संवत् 2019 से 2022 के पश्चात् से वर्तमान समय तक भूमि किस्म बारानी चारम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रकरण सं. 157/2006 अनवान रामूराम बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट का पेश किया गया जिसका निर्णय दिनांक 26.4.2007 को किया गया। अपीलाण्ट भंवरलाल द्वारा उक्त निर्णय के खिलाफ न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर में अपील दायर की जिसके

अपील सं. 69/2007 है। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.04.2007 को अपास्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम पडासला खुर्द के खसरा नंबर 73 की भूमि की किस्म के संबंध में वक्त बन्दोबस्त से अब तक के समस्त क्रमतर राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी का अवलोकन करने एवं उससे संबंधित दस्तावेजों को अभिलेख पर लेते हुए पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र का निस्तारण दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए करें। प्रकरण पुनः दर्ज किया गया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के राजस्व अपील सं. 69/2007 में निर्णय दिनांक 04.11.2010 द्वारा माननीय न्यायालय हाजा को ग्राम पडासलां खुर्द के खसरा सं. 73 की किस्म के संबंध में वक्त बदोबस्त से अबतक के क्रमत्तर राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी का अवलोकन करने एवं उससे संबंधित दस्तावेजों को अभिलेख पर लेते हुए पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र का निस्तारित करने के आदेश दिये है, आदेशिका दिनांक 29.03.2012 के अनुसरण में राजस्व अभिलेख जमाबंदी की क्रमत्तर प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत है- (1) भू प्रबन्ध की खतौनी बन्दोबस्त (2) जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 (3) जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 तहसील कार्यालय में ये जमाबंदी जीर्णशीर्ण है। संबंधित खसरा वाला खाता उपलब्ध नहीं है, परन्तु ये जमाबंदी न्यायालय की मूल पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें कोई परिवर्तन अंकित नहीं है। (4) जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 (5) जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 (6) जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 (7) जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 (8) जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 (जमाबंदी संवत् 2043 नहीं बनी (9) जमाबंदी संवत् 2048 से 2051 (10) जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 (11) जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 तथा (12) जमाबंदी संवत् 2076-76 (स्थायी)। अतः राजस्व ग्राम पडासलां खुर्द के खसरा सं. 73 का जवाब रिपोर्ट सादर सेवार्पित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरुस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों के संबंध में दस्तावेजात उपलब्ध करवाये तथा प्रकरण के संबंध किसी प्रकार की सहमति प्रदान नहीं की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पडासलां खुर्द की विवादित भूमि बन्दोवस्त खसरा नंबर 73 की भूमि घासी वल्द लूम्बाराम कौम कुम्हार के नाम बारानी चारम दर्ज हुई। इसके पश्चात तहसीलदार बिलाडा द्वारा विवादित भूमि से संबंधित धारा 133 के तहत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करते हुए उतराधिकार का नामान्तरकरण सं. 59 मोहम्मद आसिफ वगेराह के नाम स्वीकृत कर दिया तथा मोहम्मद आसिफ बगैराह ने इस भूमि का विक्रय वर्तमान रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 10 के पक्ष में करने पर नामान्तरकरण सं. 66 स्वीकृत किया गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा स्वीकार किये गये

उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

कलक्टर
अधिकारी

नामान्तरकरण सं. 59 के विरूद्ध रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हुआ जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 30.09.88 व 18.04.1992 पारित कर उक्त नामान्तरकरण को खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई जो खारिज कर दी गई तथा इसके विरूद्ध स्पेशल अपील सं. 582/96 प्रस्तुत हुई जिस पर पारित निर्णय दिनांक 20.02.2002 के द्वारा अपील स्वीकार होकर नामान्तरकरण सं. 59 पुनः बहाल किया गया। प्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड में जरिये बैचान नाम इन्दाज हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी भूमि की किस्म बारानी चारम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था न्यायालय डिवीजनल कमीश्नर जोधपुर के अपील सं. 49/12 में स्पष्ट अंकित किया हुआ कि उक्त प्रकरण में संबंधित प्रकरण उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है कि उक्त विवादित भूमि गैर मुमकिन गौचर है या खातेदारी की। इसी प्रकार उक्त भूमि के संबंध में सिलिंग प्रकरण भी विचाराधीन होना बताया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त किसी भी तथ्य का वर्तमान में खण्डन नहीं किया गया। इस कारण धारा 136 के अन्तर्गत विविध कार्यवाही में किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम उच्चतर न्यायालय में विचाराधीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा।

निर्णय आज दिनांक 7/10/2 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा।